संख्या-7/517/12-3-2014-100(38)/2013

प्रेषक,

देवाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक : 21 फरवरी, 2014**

विषय:- कृषि विभाग द्वारा संचालित की जा रही मृदा में सूक्ष्म तत्व की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण योजना का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदेश की विकास योजनाओं में उनका वाजिब हक दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में उनकी जनसंख्या के आधार पर 20 प्रतिशत मात्राकरण अल्पसयंख्यकों हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि प्रदेश में चलने वाली विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय को सामाजिक न्याय की परिधि में लाते हुए उन्हें न्यायोचित हिस्सा मिल सके तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1533/52-3-13-सा(30)/13, दिनॉक 24.08.2013 निर्गत किया गया है। शासनादेश में चिन्हित कल्याणकारी योजनाओं में कृषि विभाग की मृदा में सूक्ष्म तत्व की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार करने हेतु जिप्सम वितरण योजना भी सम्मिलित है। यह योजना लाभार्थीपरक है।

2- योजनान्तर्गत क्षरीय/ऊसर युक्त भूमि को पुन: कृषि योग्य बनाने हेतु 75 प्रतिशत अनुदान पर जिप्सम का वितरण कृषकों को किया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी के पास कृषि भूमि की उपलब्धता अनिवार्य है। जिप्सम का वितरण उन्हीं कृषकों को किये जाने का प्राविधान है, जो 25 प्रतिशत कृषक अंश देने को तैयार है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय हेतु मात्राकरण करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु जनपदवार अनन्तिम फॉट निर्धारित कर दिया जाय। तदनुसार योजनान्तर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्य की प्राप्ति की जानी है। यह फॉट अनन्तिम है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में यदि योजना के जनपदवार वार्षिक लक्ष्यों में कोई संशोधन होता है तो अल्पसंख्यकों हेतु निर्धारित लक्ष्य तदनुसार संशोधित किये जायेंगे।

4- योजना में अल्पसंख्यकों हेतु निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी विशेष कारण से लक्ष्य प्राप्ति हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति तथा मुख्य सचिव के माध्यम से शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अल्पसंख्यकों के अवशेष लक्ष्य को अन्य समुदाय के लोगों से पूर्ण कर लिया जायेगा।

5- उपरोक्त योजना की समीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप की प्रति संलग्नक-ख के रूप में संलग्न है। इस प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक वांछित विवरण/सूचना जनपद के जिलाधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को तथा शासन के सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित विभाग, परीक्षणोपरान्त प्रत्येक माह की 12 तारीख तक संलग्नक-ग पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को संकलित रूप से विवरण उपलब्ध करायेंगे।

6- योजना से सम्बन्धित शासनादेश सं0-1533/52-2013-सा(30), दिनॉक 24.8.2013 में निर्धारित अन्य शर्तों/प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीय,

(देवाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-517(1)/12-3-14-तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(निखिल चन्द्र शुक्ला)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in